फर्द अहकाम

बनाम रामेश्वर

नाम न्यायालय ACEM(FT) शाहपुरा

केस संख्या 75/2016 दफा 53188 RTAC

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विव
	4-8-17	आ.ख.नं. 677 मि. 678, 680 लगा. 686, 688 लगा. 690 कुल किता 12 रकबा 7.44 है. वाके ग्राम पटमानपुरा तह. शाहपुरा जमाबन्दी का खातेदारान के मध्य बिना बटवारा किया जाता है। उक्त हक-2 खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।	
		(1) रूपा पुत्र नयनराम नि. 1/2, शकिन व.ल.मो. कौम लि. राजा चौधरी, रामेश्वर, रामपाल पि. महादेव 2/5, शकिन मनो बैगं राजा चौधरी, अर्जुन पुत्री महादेव नि. 4/10 मौजा बासणव ला.दे. के बटवारे में आ.खा. 683/0.11, 684/0.11, 685/0.02 686/0.05 है. कुल किता 4 रकबा 0.29 है. रहेगा	
		(2) रूपा पुत्र नयनराम मौजा ग्रा. ला.दे. खातेदारान शकिन श्री व.ले. मो. बैगं लि. राजा चौधरी के बटवारे में 677/1.23, 678/0.13, 688/1/0.22, 689/0.72 690/0.67 है. कुल किता 5 रकबा 3.57 है. रहेगा	
		(3) रामेश्वर रामपाल पि. महादेव मौजा ग्रा. ला.दे. खातेदार शकिन मो. बैगं राजा चौधरी के बटवारे में आ.खा. 680/1.10.13, 681/0.18, 682/1.65, 688/0.91, कुल किता 4 रकबा 2.87 है. रहेगा।	
		(4) अर्जुन पुत्री महादेव मौजा ग्रा. ला.दे. के बटवारे में आ.ख.नं. 680/0.71 है. रहेगा।	
		उपरोक्त बटवारा व नक्शा दुरुस्त सिर्फ मालूम होता। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।	
		पक्षकारान वोल्यामी सिक्यान्ता ~~[illegible]~~ किया जाता है कि वे बटवारे अनुसार हक्कूक के मुताबिक आपसी इकरारनामा मुक्त पेदा नहीं करे। जमाबन्दी जारी हो। ओर इस्तगासा खारिज करार किया जाता है।	
		बाद तकमील इन्द्राज रजिस्टर रहे।	

Scanned with CamScanner

फर्द अहकाम

बनाम रामेश्वर

नाम न्यायालय ACEM(F-I) शाहपुरा

केस संख्या 75/20/6 दफा 53188 RTAC+

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	4-8-17	आ.ख.नं. 677 लगा. 678, 680 लगा. 686, 688 लगा. 690 कुल किता 12 रकबा 7.45 है. वाके ग्राम पंचायत बड़ा शाहपुरा तह. शाहपुरा जिला भीलवाड़ा का खातेदारान के मध्य बिना बटवारा किया जाता है। उक्त हवक-2 खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
	(1)	रूपा पुत्र जगरामण कि. 1/2, शक्ति ब.ख.नं. 68 सि. शाला योग्य, रामेश्वर, रामपाल पि. मदेव 215, शक्ति म.नो.बैंक शाला योग्य, अर्जुन पुत्री मदेव कि. 1/10 मोम-वासस्थ का.दे.के बटवारे में आ.ख.नं. 683/0.11, 684/0.11, 685/0.02 686/0.05 है. कुल किता 4 रकबा 0.29 है. रहेगा
	(2)	रूपा पुत्र जगरामण मोम ग्रा.का.दे. खातेदार शक्ति श्री ब.ख.नं. बैंक सि. शाला योग्य के बटवारे में 677/1.23, 678/0.73, 688/1/0.22, 689/0.2 690/0.67 है. कुल किता 5 रकबा 3.57 है. रहेगा
	(3)	रामेश्वर रामपाल पि. मदेव मोम ग्रा.का.दे. खातेदार शक्ति म.नो.बैंक शाला योग्य के बटवारे में आ.ख.नं. 680/1/0.13, 681/0.18, 682/1.65, 688/0.91, कुल किता 4 रकबा 2.87 है. रहेगा।
	(4)	अर्जुन पुत्री मदेव मोम ग्रा.का.दे. के बटवारे में आ.ख.नं. 680/0.71 है. रहेगा।

इस बटवारा का नक्शा हल निर्माणाधीन रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

पक्षकारान बोल्या की सिद्धान्त मान लिया जाता है कि वे बटवारे अनुसार हक हुकूक के मजे काश्त में किसी प्रकार की मजा मस्त पैदा नहीं करे। अन्यथा जिम्मेदारी होगी। ओर इस पक्षाली फैसले के उमादकोर्ट रकबा के नकल बाद तामील दफ्तर शामिल रहे।

Scanned with CamScanner